

सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

सं. SO/E-III/Misc/2020-कोविड

दिनांक: 16-06-2021

कार्यालय ज्ञापन


विषय: त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाऊन दिशा-निर्देश 2.0 के क्रम में अतिरिक्त दिशा-निर्देश ।

- सन्दर्भ: 1. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)/गृह-7/2021 दिनांक 15-06-2021
2. DOPT का कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-Estt.-A-III दिनांक 14-06-2021
2. सीएसआईआर-सीरी का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01-06-2021

सीएसआईआर-सीरी के कार्यालय ज्ञापन सं.SO/E-III/Misc/2020-कोविड दिनांक 01-06-2021 के क्रम में तथा उपर्युक्त सन्दर्भित राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 15-06-2021 व भारत सरकार के DOPT के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14-06-2021 की अनुपालना में सभी सहकर्मियों को सूचित किया जाता है कि:

1. अवर सचिव व ऊपर के स्तर (वेतन लेवल-11 व उपर) के समस्त कार्मिक सभी कार्य दिवसों में नियमित रूप से प्रातः 9.30 से साय 4.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे ।
2. शेष सहकर्मियों को उनके विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष द्वारा दैनिक कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए व करोना प्रोटोकाल की पालना करते हुए कार्यालय में बुलाया जाएगा तथा यह संख्या 50 प्रतिशत तक सीमित होगी ।
3. कॉलोनी परिसर में राजस्थान सरकार द्वारा जारी मॉडिफाई लॉकडाऊन दिशा निर्देश दिनांक 15-06-2021 की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
4. इसके अतिरिक्त संस्थान के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01-06-2021 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

यह आदेश निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं तथा तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।


(महेंद्र सिंह)
16/06/21
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के निजी सहायक ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/समूह प्रमुख
3. प्रभारी, एन.एम.सी.